संख्या-107/2019/2399/22-2-2019-17(1004)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 16 सितम्बर, 2019***

विषय: केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उमाशंकर पुत्र श्री फौजदार प्रसाद निवासी जिला-आगरा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-26639/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/एम-28-08-2019 दिनांक-28-08-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 28-08-2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी उमाशंकर पुत्र श्री फौजदार प्रसाद, जो ग्राम, कूकापुर, थाना-जैतपुर, जनपद-आगरा का रहने वाला है। बंदी ने थ्रेशर के भुगतान के विवाद में दिनांक 30.05.1978 को सांय लगभग 6:30 बजे 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाचा की लाइसेन्सी बन्दूक से गोली मारकर मायाराम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-51/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302, के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-05 आगरा के आदेश दिनांक 30.08.1979 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.04.1992 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.08.2019 तक 16 वर्ष 05 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 11 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण असंतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बंदी द्वारा पूर्व में जेल से पलायन करने व खतरनाक किस्म का होने एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी अपराधिक मानसिक प्रकृति का होने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बंदी ने थ्रेशर के भुगतान के विवाद में दिनांक 30.05.1978 को सांय लगभग 6:30 बजे 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाचा की लाइसेन्सी बन्दूक से गोली मारकर मायाराम नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा जघन्य अपराध कारित करने तथा जेल से भाग कर कानून का उल्लघंन करने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा अपनी आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सिद्धदोष बन्दी उमाशंकर पुत्र श्री फौजदार प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित क्रि0मिस0 रिट याचिका संख्या-20421/2019 विजय कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2019 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी उमाशंकर (बन्दी संख्या-17086) पुंत्र श्री फौजदार प्रसाद निवासी जिला-आगरा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-107/2019/2399(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आगरा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-107/2019/2399/22-2-2019-17(1004)/2019

दिनांक 16 सितम्बर, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उमाशंकर (बन्दी संख्या-17086) पुत्र श्री फौजदार प्रसाद, जो ग्राम, कूकापुर, थाना-जैतपुर, जनपद-आगरा का रहने वाला है। बंदी ने थ्रेशर के भुगतान के विवाद में दिनांक 30.05.1978 को सांय लगभग 6:30 बजे 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाचा की लाइसेन्सी बन्दूक से गोली मारकर मायाराम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-51/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302, के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-05 आगरा के आदेश दिनांक 30.08.1979 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.04.1992 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.08.2019 तक 16 वर्ष 05 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 11 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण असंतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बंदी द्वारा पूर्व में जेल से पलायन करने व खतरनाक किस्म का होने एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी अपराधिक मानसिक प्रकृति का होने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बंदी ने थ्रेशर के भुगतान के विवाद में दिनांक 30.05.1978 को सांय लगभग 6:30 बजे 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाचा की लाइसेन्सी बन्दूक से गोली मारकर मायाराम नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा जघन्य अपराध कारित करने तथा जेल से भाग कर कानून का उल्लघंन करने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा अपनी आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी उमाशंकर पुत्र श्री फौजदार प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in